2019/00312

निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 159/2019 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. रामचन्द
2. मंगलचन्द } पुत्रान हनुमान
3. नानूराम
4. गुलाब देवी पत्नी कानाराम
5. अर्जुनलाल पुत्र कानाराम
6. कृष्णा } पुत्रिया कानाराम नाबालिग संरक्षिका माता गुलाब देवी
7. सीता देवी
8. नाथी देवी पत्नी छीतर
9. राधेश्याम दत्तक पुत्र छीतर

समस्त जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम नांगल लाडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।

प्रार्थीगण

बनाम

1 श्री लक्ष्मीकान्त कटारा आर ए एस उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर ।
2 मुरली } पुत्रान ग्यारसा जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम नांगली लाडी
3 मदन } तहसील आमेर, जिला जयपुर
4 रामेश्वर
5 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, जिला जयपुर

अप्रार्थीगण

जिला कलक्टर जयपुर जिला, जयपुर

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 32/2018 ब उनवानी मुरली बनाम रामचन्द व अन्य को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने बाबत।

उपस्थितः—

1. श्री बंशीधर जाट अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री प्रेम प्रकाश शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 18.11.2019

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उक्त उनवानी पत्रावली दिनांक 11.10.2019 को वास्ते जबाब अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र दिनांक 11.09.2019 जबाब हेतु नियत थी। इसी दिनांक को प्रार्थीगण के अधिवक्ता को परिवर्तित किया जाकर नया अधिवक्ता नियुक्त किया गया व जबाब आपत्ति प्रार्थना पत्र का प्रस्तुत किया जाकर प्रार्थीगण की एक तरफा बहस सुनी गई। व अप्रार्थीगण हाल प्रार्थीगण की

जिला कलक्टर
जयपुर

अंतिम बहस हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 15.10.2019 को नियत की गई तथा स्वयं पीठासीन अधिकारी के समक्ष हाल प्रार्थीगण रामचन्द्र वगैरह के अधिवक्ता के सहायक अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा न्यायालय में विराजमान पीठासीन अधिकारी से निवेदन किया गया कि सीनियर राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर कैम्प जयपुर में गये हुये है आप कोई नजदीक तारीख पेशी सुनवाई हेतु नियत करें क्योंकि आज ही जबाब दिया गया है पहले प्रारम्भिक आपित्त पर बहस सुनी जायेगी उसके बाद रामचन्द्र द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र पत्थरगढी का प्रस्तुत किया जायेगा उसके बाद अंतिम बहस होगी, परन्तु पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थीगण की अंतिम बहस सुन ली है। आप अपने सीनियर को बता देना कि प्रकरण में आपकी अंतिम बहस दिनांक 15.10.2019 को कर लेवें। दिनांक 15.10.2019 को जब हाल प्रार्थीगण (रामचन्द्र) के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए तथा पीठासीन अधिकारी से निवेदन किया कि आज अधिवक्ता संघ द्वारा कन्डोलेन्स कर दी गई है इस कारण बहस नही की जा सकती है, तो पीठासीन अधिकारी द्वारा कहा गया कि आज ही अंतिम बहस करें, अन्यथा मैं प्रकरण का अन्तिम निस्तारण कर रहा हूँ। उस समय पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में मुरलीराम बैठे थे तथा उसके बाद मुरलीराम द्वारा प्रार्थीगण को यह कहा गया कि साहब से बातचीत हो गई है आप कितना ही विलंब करें। फैसला हमारी तरफ ही होगा । ऐसा कथन अंकित कर उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है।

2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी आमेर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। विपक्षी संख्या 2 लगायत 4 की ओर से श्री प्रेम प्रकाश अधिवक्ता ने उपस्थित हो कर वकालतनामा व जबाब पेश किया।
3. बहस उभयपक्ष सुनी गई।
4. उभयपक्ष को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
5. अधिवक्ता संघ द्वारा कन्डोलेन्स दोहपर 1 बजे से की गई है, इससे पूर्व न्यायिक कार्य सम्पादित किया जा सकता है। उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण पत्थरगढी से संबंधित है जिसका यथा सम्भव शीघ्र निस्तारण किया जाना आवश्यक होता है। उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुनने एवं सम्पूर्ण तथ्यों पर मनन करने से परिलक्षित होता है कि उपखण्ड अधिकारी आमेर के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किया जावे। प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी आमेर के पीठासीन अधिकारी पर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।
6. उपखण्ड अधिकारी आमेर उभय पक्ष को गुणावगुण एवं मैरिट पर सुन कर प्रकरण का निस्तारण करना सुनिश्चित करें।
7. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उपखण्ड अधिकारी आमेर को प्रेषित हो । पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।
8. निर्णय आज दिनांक 18-11-2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जगरूप सिंह यादव)
जिला कलक्टर
जयपुर